

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270828
SG-DL-E-11032026-270828असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 498
No. 78]	DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947	[N. C. T. D. No. 498

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 10 मार्च, 2026

फा0 सं0 27389/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/25-26/17624—जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) को श्री आकाश दीप शर्मा, ई ई (सीवीपीडी)-VI, सीपीडब्ल्यूडी, प्लॉट नंबर 09 के पास, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली, से एक आवेदन आईडी संख्या 27389 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूपमें संदर्भित) के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव फेज-I की बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 36/38, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास, के. कामराज मार्ग, भारत भवन, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु 1.3085 हेक्टेयर क्षेत्र में 58 (संशोधित रूप से 49) वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष काटने/प्रत्यारोपण के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 1.3085 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव फेज-I की बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 36/38, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास, के. कामराज मार्ग, भारत भवन, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 1.3085 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते हैं :

- 1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 1.3085 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव फेज-I की बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 36/ 38, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास, के. कामराज मार्ग, भारत भवन, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।
- 2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।
- 3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

एगजीक्यूटिव एन्क्लेव फेज-I की बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 36/38, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास, के. कामराज मार्ग, भारत भवन, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

क्र० सं०	उत्तर दि० की ओर	पूर्व दि० की ओर	अक्षांश	देशान्तर
1	3166926.291	716098.400	28° 36' 39.6010" उ०	77° 12' 36.4730" पू०
2	3166888.397	716158.688	28° 36' 39.4433" उ०	77° 12' 36.4108" पू०
3	3166850.504	716218.977	28° 36' 39.3410" उ०	77° 12' 36.2613" पू०
4	3166836.433	716217.230	28° 36' 37.0003" उ०	77° 12' 36.1133" पू०
5	3166822.353	716218.896	28° 36' 36.8847" उ०	77° 12' 36.2484" पू०
6	3166813.024	716201.342	28° 36' 36.7229" उ०	77° 12' 36.2909" पू०
7	3166810.894	716202.464	28° 36' 35.2841" उ०	77° 12' 36.1999" पू०
8	3166781.672	716147.192	28° 36' 36.1998" उ०	77° 12' 38.2536" पू०
9	3166752.451	716091.920	28° 36' 37.1155" उ०	77° 12' 40.3073" पू०
10	3166796.791	716093.573	28° 36' 37.1853" उ०	77° 12' 40.2674" पू०
11	3166801.750	716092.325	28° 36' 37.4777" उ०	77° 12' 40.9197" पू०
12	3166805.241	716088.589	28° 36' 37.9359" उ०	77° 12' 40.8680" पू०
13	3166877.376	716091.278	28° 36' 38.3917" उ०	77° 12' 40.9418" पू०
14	3166880.602	716095.281	28° 36' 39.6584" उ०	77° 12' 38.7492" पू०
15	3166885.489	716096.881	28° 36' 40.9250" उ०	77° 12' 36.5566" पू०
उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत डीडब्लूजी / केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।				
*छूट प्राप्त क्षेत्र = 1.3085 हेक्टेयर				

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2026

F.No. 27389/WFD/COT/25-26/17624.—WHEREAS, an application ID no. 27389 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (West Forest Division) from Sh. Akash Deep Sharma, EE (CVPD)-VI, CPWD, adjacent to Plot No. 09, Sunheri Bagh Road, New Delhi, for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as **DPTA, 1994**) for transplantation / felling of 58 (revised to 49) number of trees for construction of Building Executive Enclave Phase-I, Plot No. 36/38, Near Udhyog Bhawan metro station, K. Kamraj Marg, Bharat Bhawan, New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 1.3085 Ha.

AND WHEREAS, the Tree Officer (West Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 1.3085 Ha. area (as per details in Annexure - A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree felling / transplantation by the Tree Officer (West Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 1.3085 Ha. (as per details in Annexure - A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Construction of Building Executive Enclave phase-I, plot no. 36/38, near Udhog Bhawan metro station, K. Kamraj marg, Bharat Bhawan, New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:


- 1) This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 1.3085 Ha. area (as per details in Annexure - A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for construction of Building Executive Enclave phase-I, plot no. 36/38, Near Udhog Bhawan metro station, K. Kamraj Marg, Bharat Bhawan, New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer (West Forest Division).
- 2) This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for felling/transplantation of trees under the DPTA, 1994.
- 3) The application for transplantation / felling of trees shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (West Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted from within the exempted area.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment & Forests)

Annexure- A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for construction of Building Executive Enclave phase-I, plot no. 36/38, near Udhog Bhawan metro station, K. Kamraj marg, Bharat Bhawan, New Delhi.



LEGEND:-

Project Area	
Coordinate No.	000
Points	
Dimensions	

Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for construction of Building Executive Enclave phase-I, plot no. 36/38, near Udhog Bhawan metro station, K. Kamraj marg, Bharat Bhawan, New Delhi.

S.NO.	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1	3166926.291	716098.400	28° 36' 39.6010" N	77° 12' 36.4730" E
2	3166888.397	716158.688	28° 36' 39.4433" N	77° 12' 36.4108" E
3	3166850.504	716218.977	28° 36' 39.3410" N	77° 12' 36.2613" E
4	3166836.433	716217.230	28° 36' 37.0003" N	77° 12' 36.1133" E
5	3166822.353	716218.896	28° 36' 36.8847" N	77° 12' 36.2484" E
6	3166813.024	716201.342	28° 36' 36.7229" N	77° 12' 36.2909" E
7	3166810.894	716202.464	28° 36' 35.2841" N	77° 12' 36.1999" E
8	3166781.672	716147.192	28° 36' 36.1998" N	77° 12' 38.2536" E
9	3166752.451	716091.920	28° 36' 37.1155" N	77° 12' 40.3073" E
10	3166796.791	716093.573	28° 36' 37.1853" N	77° 12' 40.2674" E
11	3166801.750	716092.325	28° 36' 37.4777" N	77° 12' 40.9197" E
12	3166805.241	716088.589	28° 36' 37.9359" N	77° 12' 40.8680" E
13	3166877.376	716091.278	28° 36' 38.3917" N	77° 12' 40.9418" E
14	3166880.602	716095.281	28° 36' 39.6584" N	77° 12' 38.7492" E
15	3166885.489	716096.881	28° 36' 40.9250" N	77° 12' 36.5566" E
Coordinates have been retrieved from DWG/KML file submitted in the application on e-Forest portal by the user agency.				
*Exempted area = 1.3085 Ha.				